दिनांक 13.07.2016 को उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा अनुमण्डलीय अस्पताल, बरही का औचक निरीक्षण की कार्यवाही।

दिनांक 13.07.2016 को अनुमण्डलीय अस्पताल, बरही का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के कम में स्थिति निम्नवत् पाई गई:-

1. अनुमण्डलीय अस्पताल, बरही के ओ0पी0डी0 का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय डा0 भैरव शंकर अग्रवाल कर्तव्य पर उपस्थित थे। ओ0पी0डी0 के बाहर काफी संख्या में पुरूष एवं महिला रोगी ईलाज हेतु उपस्थित थे। डा0 भैरव शंकर अग्रवाल द्वारा बताया गया कि उनके अतिरिक्त डा0 मीरा कुमारी, महिला चिकित्सक की भी डियूटी है परन्तु वे अनुपस्थित है। ओ0पी0डी0 पंजी के अवलोकन से पाया गया कि प्रतिदिन लगभग 150 की संख्या में रोगी ईलाज हेतु अस्पताल में आते हैं परन्तु ओ0पी0डी0 पंजी में चिकित्सक द्वारा प्रारंभ एवं अंत में अपना नाम एवं हस्ताक्षर अंकित नहीं किया जाता है।

सिविल सर्जन, हजारीबाग को निदेश दिया गया कि वे प्रारंभ एवं अंत में नाम एवं हस्ताक्षर कराना सुनिश्चित करायेंगे। डा0 मीरा कुमारी के दिनांक 13.07.2016 का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण प्राप्त कर भेजें।

2. कुपोषण उपचार केन्द्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय डा0 प्रकाश भारती उपस्थित थे। इस केन्द्र में 10 बेड की क्षमता है परन्तु दो ही बच्चे ईलाज हेतु भर्ती है। इस केन्द्र में वाटर प्यूरीफायर खराब पाया गया। असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हजारीबाग कुपोषण उपचार केन्द्र में स्वच्छता का अभाव पाया गया। कुपोषण उपचार केन्द्र के प्रभारी से कारण पृच्छा करते हुए वेतन निकासी पर रोक लगायें।

3. अनुमण्डलीय अस्पताल बरही में डा0 सुदीप वेदराजन, दंत चिकित्सक पदस्थापित हैं। परन्तु अस्पताल में Dental Equipment उपलब्ध नहीं है जिसके कारण दंत चिकित्सा की सुविधा रोगियों को नहीं मिल रही है।

असैनिक शल्य चिकित्सक को निदेश दिया गया कि अविलम्ब अस्पताल में Dental Equipment उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. अनुमण्डलीय अस्पताल के चिकित्सक, चिकित्सा कर्मियों की उपस्थिति पंजी का जांच की गयी। जांच के कम में निम्न चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी अनुपस्थित पाये गये:

1. डा0 संजय जायसवाल, उपाधीक्षक, अनुमण्डलीय अस्पताल, बरही
2. डा0 मीरा कुमारी, महिला चिकित्सक।
3. डा0 शशि शंकर प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी।

1. डा० आर० के० जायसवाल,चिकित्सा पदाधिकारी।
2. डा० अनुभा कुमारी,चिकित्सा पदाधिकारी।
3. डा० नरूल इस्लाम,चिकित्सा पदाधिकारी।
4. श्री महेन्द्र प्रसाद चिकित्सा सहायक
5. श्री [illegible] कुमार, लिपिक
6. श्री प्रवीण कुमार, प्र०प०कार्यकर्ता।

ड्यूटी रोस्टर संधारित नही था।

साफ सफाई नही थी।

ड्रेसिंग कक्ष furnish नही था।

अनुपस्थित चिकित्सक एवं कर्मियों से कारण उनकी अनुपस्थिति के लिये कारण पृच्छा करने का निदेश दिया गया।

[illegible] श्री महेन्द्र प्रसाद, नेत्र सहायक, राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभार [illegible] स्कूली बच्चों की नेत्र जांच के संबंध में पृच्छा की गयी एवं संधारित [illegible] की गयी। पंजी के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि इनके द्वारा केवल [illegible] विद्यालय, बरही एवं उ०म०वि० बरही में बच्चों के नेत्र की जांच की गयी [illegible] 12.7.2016 एवं 13.7.2016 को श्री महेन्द्र प्रसाद अनुमण्डलीय अस्पताल [illegible] अनुपस्थित रहे।

इन्हें निदेशित किया गया कि वे सप्ताह के चार दिन बरही अनुमण्डल अन्तर्गत विद्यालयों का भ्रमण कर बच्चों के नेत्र की जांच करना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हजारीबाग प्राप्त करेंगे जिसकी प्रतिलिपि जिला शिक्षा अधीक्षक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी उपलब्ध करायें।

[illegible] अनुमण्डलीय अस्पताल परिसर मे उपस्थित महिलाओं से ईलाज की जानकारी [illegible] इनके द्वारा शिकायत की गयी कि वे दो घंटे से ईलाज हेतु खड़े [illegible] कोई महिला चिकित्सक उपलब्ध नही हैं, साथ ही उन्हें अभीतक जननी सुरक्षा योजना की राशि प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में डी०पी०एम० से पूछे जाने पर बताया गया कि इस मद में जिला कार्यालय से आवंटन प्राप्त नही हुआ है।

असैनिक शल्य चिकित्सक को निदेश दिया गया कि वे उक्त के संबंध में प्रतिवेदन देंगे तथा **Widal Test** एवं अन्य जाँच के लिए **Chemical** उपलब्ध करायेंगे।

उपाधीक्षक, अनुमण्डलीय अस्पताल, बरही को निदेश दिया गया कि वे अस्पताल परिसर की दीवाल पर अस्पतल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधा एवं

उपायुक्त, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही का दूरभाष एवं मोबाईल नम्बर अंकित कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि यहां आनेवाले मरीज विशेष परिस्थिति में सम्पर्क कर सके।

उपायुक्त, हजारीबाग।

ज्ञापांक 1528/सी0, हजारीबाग, दिनांक- 14 जुलाई, 2016

प्रतिलिपि असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हजारीबाग/अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, बरही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त, हजारीबाग।

ज्ञापांक 1528/सी0, हजारीबाग, दिनांक- 14 जुलाई, 2016

प्रतिलिपि सरकार के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त, हजारीबाग।